न्यायालय, राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ0 भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 59/2024 G.C.M.S. No. 2024/320 दर्ज दिनांक : 22.08.2024

अपीलार्थी:

1. मंशाराम पुत्र खीमा, जाति कुम्हार, निवासी सियाणा, तहसील व जिला जालोर।

बनाम

प्रत्यर्थीगण:

1. पप्पूसिंह पुत्र शैतानसिंह, जाति राजपूत, निवासी सियाणा, तहसील व जिला जालोर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, जालोर।

फॉर्मल पक्षकार:–

1. अशोक उर्फ आशाराम पुत्र खीमा
2. नाथाराम पुत्र खीमा
3. लकमाराम पुत्र खीमा
4. जमू पुत्री खीमा
5. जैसाराम पुत्र त्रिकमा
6. गीनाराम पुत्र त्रिकमा, जातियान कुम्हार, निवासीगण सियाणा, तहसील व जिला जालोर।
7. भीमसिंह पुत्र जुहारसिंह
8. सोवन पत्नि भीमसिंह, जातियान राजपूत, निवासी सियाणा, तहसील व जिला जालोर।

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर जालोर द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 53/2024 बअनवान पप्पूसिंह बनाम अशोक उर्फ आशाराम वगैरह में पारित आदेश दिनांक 31.07.2024

पैरोकार–

1. श्री उत्तमकुमार गहलोत, श्री विक्रमसिंह, विद्वान अभिभाषक अपीलांट।
2. श्री नरपतसिंह देवड़ा, श्री गोपेश कुमार, श्री युद्धवीर राठौड़, विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेंट संख्या 1, 7 व 8
3. दीगर रेस्पोंडेंट्स अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांक: 29.04.2026

अपीलान्ट की ओर से जरिये अधिवक्ता यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर जालोर द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 53/2024 बअनवान पप्पूसिंह बनाम अशोक उर्फ आशाराम वगैरह में पारित आदेश दिनांक 31.07.2024 के विरूद्ध पेश की गई। प्रकरण संक्षेप में निम्नानुसार है–

यह कि हस्तगत प्रकरण में वादी/रेस्पोंडेण्ट्स संख्या–01 ने अदालत महातत के समक्ष सरहद मौजा पटवार हल्का सियाणा, भू.अभि.नि.क्षेत्र सियाणा तहसील व जिला

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

जालोर के वर्तमान खसरा नम्बर–3843 रकबा 0.7500 हैक्टेयर की आराजी रेस्पोंडेण्ट संख्या–01 व अपीलाण्ट एवं फोर्मल पक्षकार की सामलाती हक, हिस्सा एवं कब्जा काश्त की खातेदारी आई हुई हैं। उक्त आराजी अपीलाण्ट्स व रेस्पोंडेण्ट संख्या–01 के नाम संयुक्त खातेदारी के रूप में दर्ज है। उक्त आराजी के बंटवाडा हेतु तथाकथित खातेदार रेस्पोंडेण्ट संख्या–01 ने अपना हक, हिस्सा बंटवाडा करने हेतु एक दावा बाबत् बंटवाडा व स्थाई निषेधाज्ञा का अदालत मातहत के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिसमें अदालत मातहत द्वारा अपीलाण्ट्स को बिना नोटिस जारी किये एकपक्षीय स्थगन आदेश जारी फरमाया गया है, जिसके विरूद्ध अपीलांट द्वारा उक्त अपील प्रस्तुत की गई हैं कि विवादग्रस्त आराजी के संयुक्त खातेदार रेस्पोडेण्ट संख्या–01 व अपीलाण्ट एवं फोर्मल पक्षकार भी है एवं सह–खातेदार उक्त सामलाती आराजी में माफिक आपसी मौखिक रूप से हुए बंटवाडा अनुसार अपने–अपने हिस्से पर काबिज कास्त है एवं रेस्पोडेण्ट संख्या–1 जो उक्त आराजी अपीलाण्ट की पुश्तेनी आराजी है, जिसमें नया खरीददार है, जिसका उक्त आराजी में कोई कब्जा काश्त नहीं है, केवल मात्र पूर्व खातेदारी आराजी खरीद किये जाने से उसका नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज इन्द्राज हुआ है। लेकिन मातहत अदालत ने रेस्पोडेण्ट संख्या–1 को नाजायज फायदा पहुँचाने के लिए एक ही दिन में बिना किसी सुनवाई व जांच पडताल किये एकपक्षीय जो जैर आदेश पारित कर कानूनी भारी भूल की हैं। बंटवाडे के दावे में नियमानुसार समस्त सामलाती खातेदारों को सुना जाकर किसी प्रकार का निर्णय व आदेश दिया जाना न्यायोचित होता है, लेकिन मातहत अदालत ने सभी खातेदारों को बिना सुने एकपक्षीय जो जैर अपीलाधीन आदेश पारित किया है, उससे सभी खातेदारों के हक, हकूकों पर कुठाराघात हुआ है एवं वे अपनी सामलाती खातेदारी आराजी को विकसित करना चाहे तो उसमें अदालत महातत द्वारा पारित आदेश से रूकावट पैदा हो रही है एवं सामलाती आराजी में किसी भी खातेदार को अपने उपयोग, उपभोग में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न करने का कोई हक, अधिकार स्थगन आदेश पारित कर अदालत महातत को नहीं है। उक्त अपीलाधीन आदेश पारित करने पूर्व अदालत महातत को माफिक सी.पी.सी. समस्त खातेदारों को नोटिस जारी करवाकर, उन्हें सुनवाई का अवसर दिया जाकर, न्यायोचित आदेश पारित किया जाना चाहिए था, लेकिन अदालत महातत ने आनन–फानन में बिना खातेदारों को सुने जो एकपक्षीय आदेश पारित करने में कानूनी व वाक्याती भारी भूल की हैं। माननीय राजस्व मण्डल अजमेर राजस्थान द्वारा भी समय–समय पर अपने आदेश पारित कर यह प्रतिपादित किया है कि सामलाती खातेदारी में रेकर्डेड खातेदार के विरूद्ध किसी प्रकार का स्थगन आदेश जारी नहीं फरमाया जा सकता है व न हीं उन्हें अपने खातेदारी हक अधिकारों के उपयोग व उपभोग में किसी स्थगन आदेश से रोका जा सकता है, जिस बाबत् राजस्व मण्डल ने अपने

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

पारित आदेशों में विस्तृत वर्णन किया है, न्यायिक दृष्टांत आर.आर.टी.2015 (1) पेज संख्या–633 अवतार खान बनाम मेहन बानो व आर.टी. 2014 (2) पेज संख्या–1301 गोपाराम बनाम हरीमाराम वगैरा में स्पष्ट प्रतिपादित किया है कि रेकर्डेड खातेदार के विरूद्ध किसी भी प्रकार का स्थगन आदेश पारित नहीं किया जा सकता है न ही रेकर्डेड खातेदार को उनकी आराजी के उपयोग व उपभोग से रोका जा सकता है, जबकि अदालत महातत ने सह–खातेदारान को बिना सुने एकपक्षीय स्थगन आदेश पारित किया है। अपीलाण्ट एवं फोर्मल पक्षकार संख्या–01 से लगायत 06 आपस में जायन्दा भाई व एक ही कुटुम्ब परिवार के हैं। रेस्पोंडेण्ट संख्या–01 ने, जिससे जमीन खरीदी वह भी हम सह–खातेदारों की बिना जानकारी के खरीद की हैं। हम सभी सह–खातेदारों का पूर्व में आपस में मौखिक रूप से बंटवाडा पूर्व के समय हो चुका है एवं सभी खातेदार माफिक बंटवाडा अपने–अपने हक, हिस्से पर काबिज काश्त है एवं अपने–अपने हक, हिस्से की आराजी को काफी रूपये पैसे खर्च कर उपजाउ व उन्नत बनाया है, लेकिन रेस्पोंडेण्ट संख्या–01 अनजबी खरीददार है, जो सभी सह–खातेदारों व भाईयों को तंग, परेशान करने के लिए अदालत मातहत के समक्ष मनगढ़ंत तथ्यों पर दावा प्रस्तुत किया है एवं अपीलाण्ट एवं फोर्मल पक्षकार को किसी न किसी बात के लिए परेशान करने के लिए रेस्पोंडेण्ट संख्या–01 ने उक्त दावा प्रस्तुत किया है एवं अदालत मातहत ने रेस्पोंडेण्ट्स संख्या–01 के प्रार्थना पत्र को एज ए ट्रीट मानते हुए अदालत मातहत ने भी बिना सह–खातेदारान को सुनवाई का अवसर दिए व नोटिस जारी किए एकपक्षीय स्थगन आदेश पारित किया है, जो निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जैर अपील आदेश अपास्त फरमावें।

अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट्स व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया।

हमनें प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी व उस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण का विस्तृत विवेचन व निर्णयन निम्नानुसार है–

1. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी रेस्पोंडेंट संख्या 1 द्वारा अपीलांट व दीगर रेस्पोंडेंट्स के विरूद्ध वादग्रस्त अविभाजित सहखातेदारी भूमि के बंटवाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा के वादपत्र के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 31.07.2024 द्वारा एकपक्षीय अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पारित करते हुए वादग्रस्त आराजीयात की आगामी तारीख पेशी तक रिकॉर्ड व मौके की यथास्थिति बनाए रखने हेतु पक्षकारान को पाबंद किया गया। जिसके विरूद्ध अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील अंदर म्याद प्रस्तुत की गई।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

2. अपीलाधीन आदेश के अवलोकन मात्र से स्पष्ट है कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा आगामी तारीख पेशी तक के लिए प्रवृत्त एकपक्षीय अंतरिम अस्थाई व्यादेश पारित किया गया है। अर्थात अधीनस्थ विचारण न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र का गुणावगुण के आधार पर अंतिम रूप से निर्णयन नहीं किया है। यह भी उल्लेखनीय है कि वादग्रस्त आराजीयात उभयपक्षकारान की अविभाजित सहखातेदारी आराजी हैं। ऐसी स्थिति में अन्य सहखातेदारान को अस्थाई निषेधाज्ञा से निरूद्ध किया जाना विधिसम्मत नहीं होगा। साथ ही पत्रावली पर वादग्रस्त आराजीयात की वर्तमान मौका स्थिति के संबंध में कोई रिपोर्ट/दस्तावेज नहीं होने के बावजूद विचारण न्यायालय द्वारा पक्षकारान को वर्तमान मौका स्थिति को बनाए रखने के लिए पाबंद किया गया है। जोकि अस्पष्ट आदेश है तथा ऐसे आदेश के आधार पर पक्षकारान के मध्य अनावश्यक विवाद बढ़ने की संभावना रहती हैं।

3. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हमारे विनम्र मत में अपील अपीलांट बखूबी साबित होने से स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश को अपास्त करते हुए प्रकरण 60 दिवस के भीतर गुणावगुण के आधार पर अंतिम रूप से निर्णित किये जाने के निर्देश के साथ अधीनस्थ विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना विधिसम्मत व उचित होगा।

आदेश

अतः निष्कर्षतः अपील अपीलांट अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखूबी साबित होने व सारवान होने से स्वीकार की जाती हैं तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर जालोर द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 53/2024 बअनवान पप्पूसिंह बनाम अशोक उर्फ आशाराम वगैरह में पारित आदेश दिनांक 31.07.2024 को अपास्त कर प्रकरण अधीनस्थ विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में अप्रार्थीगण को जवाब प्रस्तुत करने का अधिकतम दो अवसर प्रदान करते हुए प्रकरण का 60 दिवस के भीतर गुणावगुण के आधार पर विधिनुरूप अंतिम रूप से निर्णयन करें। उभयपक्षकारान को जरिये अधिवक्तागण पाबंद किया जाता है कि वे असालतन/वकालतन न्यायालय सहायक कलक्टर जालोर में दिनांक 25.05.2026 को पेश हों। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि अधीनस्थ न्यायालय को प्रेषित की जावें। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित की जाकर बाद तकमील संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक **29.04.2026** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुहर सर–ए–इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 भास्कर बिश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली